

क्रमांक 341 / दर अनु.-2010 / बो.प्र. / 2010 /  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक 341 / दर अनु.-2010 / बो.प्र. / 2010 /  
प्रति,

रायपुर, दिनांक / 07 / 2014

1. समस्त मुख्य अभियंता,
2. समस्त अधीक्षण अभियंता,
3. समस्त कार्यपालन अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :- 01 अगस्त 2010 से प्रभावशील जल संसाधन विभाग की दर अनुसूची के दरों को यथावत रखने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 341 / दर अनु.-2010 / बो.प्र. / 10 / 3535, रायपुर दिनांक 23.03.2011 ।

\*\*\*

विषयान्तर्गत वर्तमान में प्राप्त निविदा दर को दृष्टिगत रखते हुए जल संसाधन विभाग में दिनांक 01.08.2010 से प्रभावशील दर अनुसूची-2010 में संदर्भित पत्र द्वारा किये गये संशोधन को निरस्त करते हुए दर अनुसूची-2010 की दरों को दिनांक 01 अगस्त 2014 से यथावत लागू किया जाता है।

सर्वो-  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर  
रायपुर, दिनांक 28/07/2014

पृ.क्रमांक 341 / दर अनु.-2010 / बो.प्र. / 2010 / 1971  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नीरभवन, रायपुर
4. संचालक दर एवं लागत, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन आर.के. पुरम, नई दिल्ली
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ विधानसभा रोड, रायपुर
6. मुख्य अभियंता (सिविल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, डगनिया, रायपुर
7. मुख्य तकनीकी परीक्षक, कैम्पस कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर
8. मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता ..... MIS डेटा सेंटर  
रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर